

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2376
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

शिक्षित और बेरोजगार युवाओं की संख्या

2376. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान देश में शिक्षित और अशिक्षित युवाओं के लिए सृजित किए गए रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और निर्धारित किए गए/प्राप्त लक्ष्य क्या हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और हाशिए पर पड़े श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 12.9%, 12.4% और 10.0% थी। यह आंकड़ों दर्शाते हैं कि देश में युवा बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की शिक्षा के विभिन्न सामान्य स्तर पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

(% में)

शिक्षा का स्तर	2020-21	2021-22	2022-23
निरक्षर	0.4	0.4	0.2
साक्षर और प्राथमिक तक	1.4	1.0	0.5
मीडिल	2.5	2.6	1.7
माध्यमिक	3.8	3.4	2.2
उच्च माध्यमिक	6.6	6.3	4.6
माध्यमिक और ऊपर	9.1	8.6	7.3
समस्त	4.2	4.1	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की शिक्षा के विभिन्न सामान्य स्तर पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में है।

वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) जो रोजगार को दर्शाता है, क्रमशः 36.1%, 36.8% और 40.1% था, यह दर्शाता है कि देश में युवाओं में रोजगार वृद्धि की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने वंचित समूहों के व्यक्तियों सहित, देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 23.09.2023 तक, योजना के तहत 60.47 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा, स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 17.11.2023 तक 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही हैं।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2376 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)

2020-21 के दौरान बेरोजगारी दर (% में)								
क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षर	साक्षर और प्राथमिक तक	मीडिल	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक और ऊपर	समस्त
1	आंध्र प्रदेश	0.2	0.0	1.5	2.3	5.6	11.0	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.9	2.2	4.3	7.6	13.3	5.7
3	असम	0.1	1.4	3.7	3.9	7.7	8.1	4.1
4	बिहार	1.2	4.5	2.9	6.8	7.5	9.5	4.6
5	छत्तीसगढ़	0.1	1.2	2.4	3.5	2.6	5.9	2.5
6	दिल्ली	0.0	3.9	2.5	7.8	13.9	9.8	6.3
7	गोवा	3.3	1.1	8.2	6.1	17.5	14.3	10.5
8	गुजरात	0.2	0.4	2.5	1.6	3.9	4.0	2.2
9	हरियाणा	1.8	2.3	3.4	7.3	10.4	10.0	6.3
10	हिमाचल प्रदेश	0.1	0.3	0.3	0.8	3.8	5.6	3.3
11	झारखंड	0.3	2.4	2.5	5.0	4.7	7.1	3.1
12	कर्नाटक	0.2	0.0	1.1	3.1	3.4	5.8	2.7
13	केरल	0.8	1.5	2.5	3.1	13.9	16.6	10.1
14	मध्य प्रदेश	0.1	0.7	1.9	1.8	2.1	5.0	1.9
15	महाराष्ट्र	0.3	0.7	2.3	2.6	4.9	6.7	3.7
16	मणिपुर	0.8	0.2	3.1	3.6	6.5	8.4	5.6
17	मेघालय	0.0	0.1	0.7	3.1	4.3	6.3	1.7
18	मिजोरम	0.0	0.7	1.0	1.2	3.0	7.3	3.5
19	नागालैंड	0.0	1.2	9.7	20.9	29.3	30.8	19.2
20	ओडिशा	0.7	1.2	4.1	8.0	11.5	14.4	5.3
21	पंजाब	0.8	0.8	2.9	5.2	12.2	11.2	6.2
22	राजस्थान	0.2	2.5	2.9	3.0	8.0	12.4	4.7
23	सिक्किम	0.0	0.1	2.0	0.3	2.2	1.9	1.1
24	तमिलनाडु	0.2	0.4	2.1	3.5	4.4	11.6	5.2
25	तेलंगाना	0.2	1.4	3.5	4.0	7.0	9.9	4.9
26	त्रिपुरा	0.0	0.3	3.0	3.5	5.0	9.1	3.2
27	उत्तराखंड	0.4	1.9	3.0	3.2	17.4	12.5	6.9
28	उत्तर प्रदेश	0.8	3.5	2.1	3.5	5.6	8.4	4.2
29	पश्चिम बंगाल	0.4	1.1	3.3	4.1	8.0	8.2	3.5
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	2.8	4.7	10.4	16.6	9.1
31	चंडीगढ़	0.0	6.9	8.9	9.6	4.2	7.8	7.1
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.0	0.0	11.4	5.2	4.5	3.8	4.2
33	जम्मू एवं कश्मीर	0.2	0.4	1.9	4.1	8.0	14.1	5.9
34	लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.8	2.9
35	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	11.9	7.0	20.4	13.4
36	पुडुचेरी	0.0	1.8	3.3	1.1	7.9	10.5	6.7
	अखिल भारत	0.4	1.4	2.5	3.8	6.6	9.1	4.2

वर्ष 2021-22 के दौरान बेरोजगारी दर (% में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षर	साक्षर और प्राथमिक तक	मीडिल	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक और ऊपर	समस्त
1	आंध्र प्रदेश	0.2	0.0	0.1	2.1	6.0	10.9	4.2
2	अरुणाचल प्रदेश	0.3	1.7	5.6	4.9	11.7	18.2	7.7
3	असम	0.2	1.0	4.3	4.8	9.0	8.1	3.9
4	बिहार	1.1	3.6	5.5	5.8	11.8	12.0	5.9
5	छत्तीसगढ़	0.2	0.5	1.3	2.4	4.0	6.4	2.4
6	दिल्ली	2.0	0.4	6.1	5.2	3.4	6.8	5.3
7	गोवा	0.0	2.7	4.4	9.8	16.9	17.4	12.0
8	गुजरात	0.8	0.3	1.1	3.8	2.3	4.3	2.0
9	हरियाणा	2.8	2.9	9.9	6.5	13.7	12.3	9.0
10	हिमाचल प्रदेश	0.1	0.4	0.3	0.8	5.0	7.1	4.0
11	झारखंड	0.3	1.3	1.2	1.9	3.1	4.8	2.0
12	कर्नाटक	0.1	0.2	1.5	1.8	3.1	6.5	3.2
13	केरल	1.4	0.9	2.1	5.7	14.4	15.9	9.6
14	मध्य प्रदेश	0.1	0.2	2.2	1.9	2.3	5.7	2.1
15	महाराष्ट्र	0.4	0.6	1.9	3.0	5.2	6.1	3.5
16	मणिपुर	0.0	2.2	4.1	8.5	7.3	13.9	9.0
17	मेघालय	0.0	0.1	2.4	4.6	4.1	7.1	2.6
18	मिजोरम	0.0	0.0	2.6	3.6	4.2	10.6	5.4
19	नागालैंड	0.0	0.8	5.9	10.5	11.2	15.6	9.1
20	ओडिशा	0.1	1.8	5.3	9.3	12.7	15.6	6.0
21	पंजाब	0.4	1.7	4.4	2.8	15.0	11.1	6.4
22	राजस्थान	0.4	1.1	2.8	4.4	6.8	12.3	4.7
23	सिक्किम	0.0	0.0	0.4	0.7	2.5	4.9	1.6
24	तमिलनाडु	0.0	0.5	1.6	2.7	4.5	10.3	4.8
25	तेलंगाना	0.0	0.4	2.4	1.0	3.7	8.9	4.2
26	त्रिपुरा	0.0	0.5	2.8	3.5	3.3	7.9	3.0
27	उत्तराखंड	1.2	2.4	3.6	4.4	7.0	12.3	7.8
28	उत्तर प्रदेश	0.5	1.1	1.8	1.9	3.8	6.2	2.9
29	पश्चिम बंगाल	0.1	1.7	3.7	3.6	8.7	7.2	3.4
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	1.2	2.1	7.4	15.4	7.8
31	चंडीगढ़	1.4	3.1	7.5	5.1	13.4	7.2	6.3
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	6.2	0.0	6.1	5.3	6.9	6.3	5.2
33	जम्मू एवं कश्मीर	0.2	0.6	2.0	1.9	8.5	12.0	5.2
34	लद्दाख	0.0	0.1	2.4	5.0	5.3	6.3	3.3
35	लक्षद्वीप	62.4	8.5	8.9	16.4	16.9	20.6	17.2
36	पुडुचेरी	0.0	0.0	0.2	1.7	0.4	9.8	5.8
	अखिल भारत	0.4	1.0	2.6	3.4	6.3	8.6	4.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

वर्ष 2022-23 के दौरान बेरोजगारी दर (% में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षर	साक्षर और प्राथमिक तक	मीडिल	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक और ऊपर	समस्त
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.1	0.8	6.3	11.4	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.1	2.7	5.5	5.1	13.3	4.8
3	असम	0.1	0.2	2.4	2.1	6.7	6.5	1.7
4	बिहार	0.3	1.8	4.2	4.9	4.5	8.7	3.9
5	छत्तीसगढ़	0.0	0.2	1.2	2.8	3.8	7.0	2.4
6	दिल्ली	0.0	0.0	0.4	2.1	0.5	3.8	1.9
7	गोवा	0.0	2.4	3.5	12.5	10.7	14.8	9.7
8	गुजरात	0.2	0.6	1.0	2.3	1.8	3.7	1.7
9	हरियाणा	1.7	0.9	3.7	4.2	12.8	9.8	6.1
10	हिमाचल प्रदेश	0.4	0.8	0.3	1.2	3.1	7.1	4.3
11	झारखंड	0.0	0.2	0.9	0.8	1.6	4.4	1.7
12	कर्नाटक	0.1	0.0	1.2	1.3	3.1	4.9	2.4
13	केरल	0.0	0.5	0.6	2.4	11.0	12.2	7.0
14	मध्य प्रदेश	0.0	0.2	1.2	2.0	2.1	4.7	1.6
15	महाराष्ट्र	0.0	0.2	1.8	2.3	3.6	5.5	3.1
16	मणिपुर	0.1	1.4	3.7	2.9	6.3	7.0	4.7
17	मेघालय	0.0	2.7	5.7	6.1	16.3	12.4	6.0
18	मिजोरम	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	5.1	2.2
19	नागालैंड	0.0	0.2	1.2	2.4	4.9	8.9	4.3
20	ओडिशा	0.2	0.6	2.0	4.3	7.5	11.1	3.9
21	पंजाब	0.8	1.1	2.8	3.4	13.2	10.4	6.1
22	राजस्थान	0.2	0.8	2.3	2.3	4.5	12.5	4.4
23	सिक्किम	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	6.9	2.2
24	तमिलनाडु	0.1	0.3	1.8	1.3	4.2	9.4	4.3
25	तेलंगाना	0.0	0.2	1.7	0.9	2.7	8.9	4.4
26	त्रिपुरा	0.0	0.1	0.3	1.2	3.6	5.8	1.4
27	उत्तराखंड	0.4	0.9	3.4	1.6	3.4	6.7	4.5
28	उत्तर प्रदेश	0.2	0.9	1.4	1.6	3.1	5.4	2.4
29	पश्चिम बंगाल	0.3	0.7	1.8	1.8	5.1	5.1	2.2
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	2.2	3.0	7.6	13.2	16.8	9.7
31	चंडीगढ़	3.8	0.7	3.4	2.6	6.7	4.5	4.0
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.1	0.9	0.5	0.0	1.5	4.7	2.5
33	जम्मू एवं कश्मीर	0.0	1.2	2.0	1.9	8.1	9.7	4.4
34	लद्दाख	0.0	0.0	3.2	8.8	7.6	12.5	6.1
35	लक्षद्वीप	0.0	0.0	3.8	0.0	22.0	15.4	11.1
36	पुडुचेरी	0.0	0.6	0.6	0.5	4.8	9.7	5.6
	अखिल भारत	0.2	0.5	1.7	2.2	4.6	7.3	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई